Registration no (23715242021111117095458) Date (17-11-2021) Valid till (17-11-2024)

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | NAWADA
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र

सेवा मे

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
केन्द्रीय मध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 0
शिक्षा केद्र , 2 कम्यूनिटी सेंटर 0

विषय :- बच्चो की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनाक 17-11-2021 और उसके क्रम मे आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय ST. JOSEPH'S SCHOOL, ST. JOSEPH'S SCHOOL NEAR NH-31 CHHAPRA MORE, BHATOLIYA, 805125 . कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षा 17-11-2021 से 17-11-2024 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीक ति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नही होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चो के नामाकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नही किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नही होगी ।

(IV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।

(Vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(Vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(Viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि मे संलग्न नहीं होंगे ।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।

विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानो के आलोक मे उपलब्ध सुविधाओ के आनुपातिक रूप से छात्रो का नामांकन करेगा।

10 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे उद्धृत मानको एवं मानदंडो को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओ का विवरण निम्नवत

(i) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 200

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 200

(iii) खेत के मैदान क क्षेत्र :- PLAY GROUND, DRINKING WATER WITH RO, TOILETS, PARKING, COMPUTER LAB, LIBRARY, SCIENCE LAB, CONFERENCE HALL, MUSIC HALL, FIRE EXTINGUISHER, SICK ROOM.

(IV) वर्ग कक्षो की कुल सख्या :- 14

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्षा :- 1

(Vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 20 , Girls 20

(Vii) पेयजल की सुविधा :- 03

(Viii) मध्याह भोजन के लिये रसोई घर :- 0

(IX) बाधारहित पहुँच [ ] :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/पुस्कत्य पुस्तकालय :- 1. FLOWER CHART PAPER-05 2. COUNTING CHART PAPER-05 3. VEGETABLE CHART PAPER-05 4. BIRDS CHART PAPER-05 5. FRUITS CHART PAPER-05 6. ANIMAL CHART PAPER-04 7. TABLES CHART PAPER-05 8. TRAFFIC CHART PAPER-03 9. HUMAN BODY PARTS CHART PAPER-02 1 , 1. CHAKKI GOLA-06 2. TENNING COURT RING-06 3. TENNIS-04 4. BALL-08 5. JUMPING NET-01 6. SLIDING SWING-02 7. BASKET BALL NET-01 8. HOURSE SWING-01 9. BAT AND BALL- 04 10. BOAT SWING-01 11. DOLI SWING-01 12. ROUND SWING-04 13. CHAIN SWING-0 , (Y , 999 , NewsPaper MagaZine :- 10)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर मे या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नही होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास केलिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 सचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियो के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नही होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [23715242021117095458, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने मे इस कोड को अंकित एव उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयो को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुलग्नक III के रूप में सतग्र अन्य शर्ते

30.4.2021

विश्वा भाजन

ह० /-

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, NAWADA

सह-सचिव प्रस्वीकृत समिति

शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

DISTRICT PROGRAM OFFICER
(Ele. Edu. & SSA.), Nawada

PRINCIPAL
ST JOSEPH'S SCHOOL
RAJAULI-805125

NOC LETTER